बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या–3/कोर्ट–1–09/2013– /स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

डा0 कृष्ण कुमार, सेवा निवृत सह प्राध्यापक, एम0जी0एम0, मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर ने सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका सं0 109/2013 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2013 को वादी को निम्नवत निदेश देते हुये वाद को खारिज कर दिया गया:–

``It is evident from the pleadings as well as the counter affidavit that after return of the petitioenr from U.K. on an extended study leave on 22.06.1993 and formality of giving his joining thereafter, he has never bothered to approach the authority for a regular posting till he retired on 30th April, 2007. There is a long gap in the service of the petitioner before the respondents. Unless this issue is resolved as to what is required to be done, there cannot be any direction for payment of retiral dues at this stage.

Writ application is dismissed.

Let the petitioner approach the authority with regard to long period of absence and a decision on the same by competent authority first."

2. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध डा0 कुमार द्वारा एल0पी0ए0 सं0 1491/2018 दायर किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा समादेश याचिका में दिये गये उक्त निदेश के आलोक में दिनांक 24.03.2017 को अपील वाद को खारिज कर दिया गया ।

3. विभागीय अभिलेख एवं उपरोक्त वर्णित स्थिति में स्पष्ट है कि डा0 कृष्ण कुमार द्वारा दिनांक 22.06.93 से सेवानिवृत की तिथि 30.04.2007 तक अपनी नियमित पदस्थापना हेतु सक्षम प्राधिकार से प्रभावकारी सम्पर्क नहीं किया गया। अनुपस्थिति की अवधि पर निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार के यहाँ आवेदन देने का निदेश माननीय न्यायालय द्वारा डा0 कुमार को दिया गया । किन्तु न्यायादेश के बावजूद डा0 कुमार द्वारा अनुपस्थिति अवधि के संबंध में निर्णय हेतु आवेदन न देकर सेवान्त लाभ आदि हेतु आवेदन 15.06.2017 (हस्ताक्षर दिनांक 15.06.2016) दिया गया । अनुपस्थिति की अवधि के विनिश्चयन के क्रम में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार डा0 कृष्ण कुमार से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैः– जन्म तिथि–10.04.1947, नियुक्ति तिथि–0806.1977, अध्ययन के लिए विदेश प्रस्थान तिथि–07.08.1988 वापसी तिथि–22.06.1993 एवं से0नि0 तिथि–30.04.2007 ।

4. डा0 कृष्ण कुमार को विभागीय पत्रांक 788(3) दिनांक 21.10.87 से, जब वे सहायक प्राध्यापक, पी0एम0सी0एच0, पटना में पदस्थापित थे, तो उन्हें विदेश(यू0के0) में उच्चतर प्रशिक्षण के लिए अवकाश आदेय प्रतिवेदन के प्रत्याशा में कार्य विरमित होने की तिथि से 2(दो) वर्षों का विदेश अवकाश की

स्वीकृत दी गयी थी। डा0 कुमार, सह–प्राध्यापक, एम0जी0एम0, मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर दिनांक 24.07.1988 को विदेश प्रस्थान किये जहॉ 4(चार) वर्ष 10(दस) माह 28(अठाइस) दिन रहने के बाद दिनांक 22.06.93 को विभाग में योगदान किये । अवकाश आदेयता अनुसार डा0 कुमार को दिनांक 23.07.1988 तक कुल–235 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय था । डा0 कुमार विदेश प्रवास की अनुमति अवधि एवं संचित अर्जित अवकाश से अधिक समय तक विदेश प्रवास में रहे, हलॉकी विदेश प्रवास के पश्चात उनके द्वारा दिये गये योगदान (22.06.1993) को विभागीय पत्रांक 592(3) दिनांक 19.06.99 से स्वीकृत करते हुए डा0 कुमार को अपर सचिव कोषांग में स्थित उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा न तो उपस्थिति दर्ज की गई नहीं अपनी उपस्थिति का कोई साक्ष्य हीं उपलब्ध कराया गया है । डा0 कुमार द्वारा नियमित पदस्थापन हेतु मुख्यालय में रहते हुए भी कारगर प्रयास नहीं किया गया । स्पष्ट है कि डा0 कुमार द्वारा वास्तव में मात्र दिनांक 08.06.1972 से 23.09.1988 तक सेवा प्रदान किया गया है, अतएव यह अवधि कर्तव्य अवधि है एवं इस अवधि मात्र के लिए सेवान्त का लाभ डा0 कुमार को अनुमान्य है एवं दिनांक 24.09.1988 से 30.04.2007 तक डा0 कुमार द्वारा सेवा नहीं दी गई है, अतः "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर इस अवधि (24.09.1988 से 30.04.2007) को असाधारण अवकाश, जो पेंशन प्रदायी नहीं होगी तथा किसी अन्य प्रायोजन के लिये भी गणना नहीं की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है । तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 424(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 25/3/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 कृष्ण कुमार, सेवा निवृत सह प्राध्यापक, भागवत सदन, भागवत लेन, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, पटना–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

25.3.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\Order-2.1.2019.docx